छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

पंचम विधान सभा षष्ठम् सत्र अंक-08

रायपुर, बुधवार, दिनांक 4 मार्च, 2020

(फाल्गुन 14, शक संवत् 1941)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.01 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 05 तथा 07 से 11 (कुल 10) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

तारांकित प्रश्न संख्या 06 के प्रश्नकर्ता सदस्य श्री किस्मतलाल नंद अनुपस्थित रहे ।

तारांकित प्रश्न संख्या 07 पर चर्चा के दौरान प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा प्रकरण की जांच सदन की समिति से कराये जाने की मांग की गई ।

माननीय अध्यक्ष ने प्रकरण की सदन की समिति से जांच कराये जाने की घोषणा की ।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 58 तारांकित एवं 75 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

2. व्यवस्था का प्रश्न

श्री मोहम्मद अकबर, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि जिस मामले में ज्यूडिशियल इन्क्वारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी प्रतापपुर द्वारा की गई है, निर्णय दिया जा चुका है, ऐसी स्थिति में विधान सभा की समिति क्या जांच कर सकती है ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने कथन किया कि इस विधान सभा को पूरा अधिकार है कि ज्यूडिशियल इन्क्वायरी के बाद भी विधान सभा समिति जॉच कर सकती है ।

माननीय सभापति ने कथन किया कि मैंने माननीय मोहम्मद अकबर, मंत्री और श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य के व्यवस्था के प्रश्न को सुना है । आसंदी इस विषय पर अपनी व्यवस्था देगी ।

3. ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यानाकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलंबनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम 138 (3) को शिथिल करके मैंने आज की कार्यसूची में चार ध्यानाकर्षण सूचनाएं शामिल किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है ।

मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत है ।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई ।

(1) श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य ने रायगढ़ वन मण्डल अंतर्गत राज्य कैंपा मद से कराए गये वृक्षारोपण कार्य में अनियमितता किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री मोहम्मद अकबर, वन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, अरूण वोरा, नारायण चंदेल, सदस्य ने प्रदेश में सरस्वती सायकल योजना अंतर्गत सायकल का वितरण नहीं किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, स्कूल शिक्षा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

4. बहिर्गमन

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया ।

5. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमश:)

(3) श्री शैलेष पाण्डेय, डॉ.रश्मि आशिष सिंह, सदस्य ने तखतपुर विकासखण्ड के ग्राम पेण्डारी में नसबंदी ऑपरेशन के दौरान अमानक दवा देने से महिलाओं की मौत होने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री टी.एस.सिंहदेव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(4) श्री सौरभ सिंह, सदस्य ने प्रदेश में संचालित सीमेंट कारखानों में कार्यरत श्रमिकों के स्वास्थ्य परीक्षण में अनियमितता बरतने की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

डॉ.शिवकुमार डहरिया, श्रम मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(सभापति महोदय (श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह) पीठासीन हुए।)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

6. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री अजय चन्द्राकर

(2) श्री कुलदीप जुनेजा

(3) श्री विद्यारतन भसीन

(4) श्री लालजीत सिंह राठिया

(5) श्री प्रमोद कुमार शर्मा

7. वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा

डॉ.रमन सिंह, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
श्री सत्यनारायण शर्मा,

(सभापति महोदय (श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री नारायण चंदेल, दलेश्वर साहू, प्रमोद कुमार शर्मा, शैलेष पाण्डेय, शिवरतन शर्मा,

(सभापति महोदय (श्री देवव्रत सिंह) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री मोहन मरकाम, केशव प्रसाद चन्द्रा, डॉ.लक्ष्मी ध्रुव, डॉ.रेणु अजीत जोगी,

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

श्री सौरभ सिंह, डॉ.रश्मि आशिष सिंह

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से माननीय सदस्य का भाषण पूर्ण होने तक समय वृद्धि की घोषणा की)

8. अध्यक्षीय व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि आज दिनांक 4 मार्च, 2020 को प्रश्नोत्तर सूची में अंकित प्रश्न संख्या 7 (क्रमांक-1226) पर चर्चा के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये बिन्दुओं पर मैंने प्रकरण की जांच सदन की समिति से कराने की घोषणा की थी ।

पश्चात् माननीय विधि मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से आसंदी का ध्यान इस बिन्दु की ओर आकर्षित किया कि-"जिस मामले की ज्यूडिशियल इन्क्वायरी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा की गई है, निर्णय दिया जा चुका है, ऐसी स्थिति में विधान सभा की समिति जॉच कर सकती है क्या ? इस पर माननीय सदस्य श्री बृजमोहन अग्रवाल ने यह उल्लेख किया कि- "इस विधान सभा को पूरा अधिकार है कि

ज्यूडिशियल इन्क्वायरी के बाद भी विधान सभा समिति जॉच कर सकती है ।" तत्समय आसंदी द्वारा यह व्यवस्था दी गई थी कि- "आसंदी इस विषय पर अपनी व्यवस्था देगी ।"

मैंने प्रश्न के उत्तर में दी गई जानकारी का अवलोकन भी किया । इस संबंध में मेरी व्यवस्था निम्नानुसार है : -

"जिन बिन्दुओं पर आज माननीय सदस्यों ने प्रकरण की जॉच सदन की समिति से कराने का अनुरोध किया था, विधान सभा की समिति केवल अपनी जॉच उन्हीं बिन्दुओं तक सीमित रखेगी । प्रकरण की जॉच सदन की प्रश्न एवं संदर्भ समिति द्वारा की जायेगी ।"

सायं 05.34 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 5 मार्च,2020 (फाल्गुन 15, शक संवत् 1941) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा